रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2007/श्रावण 23, 1929 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 134
No. 139] DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2007/SRAVANA 23, 1929 [N.C.T.D. No. 134

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त, 2007

फा. सं. 4/4/2006/न.दि.न.पा.परि./14663 :—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 44) की धारा 11 के परिच्छेद (1) के साथ धारा 388 की उप-धारा (1) को पढ़ा जाए के अंतर्गत पूर्व प्रकाशन के उपरांत तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 391 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुवर्तन में न.दि.न.पा. परिषद् द्वारा बनाये गए निम्नलिखित उप-नियम एतद्द्वारा निम्न प्रकार प्रकाशित किये जाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होने की तिथि : —

(1) इन उप-नियमों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (डेंगू, मलेरिया, फाईलेरिया, पीत-ज्वर तथा अन्य विषाणु-जन्य बीमारियाँ) उप-नियम, 2007 कहा जाए।

(2) ये नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र में लागू होंगे।

(3) ये सरकारी राजपत्र में, प्रकाशन की तिथि से/को लागू होंगे।

2. परिभाषायें :—(1) इन उप-नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(i) "अधिनियम" से तात्पर्य नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 44) से है।

(ii) "अध्यक्ष" से तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है तथा परिषद् अध्यक्ष द्वारा इस संदर्भ में अधिकृत परिषद् का कोई अन्य अधिकारी या अन्य परिषद् कर्मचारी सम्मिलित है।

(iii) "अन्य रोगाणु" से तात्पर्य उन रोगाणुवाहकों से है, जो चिकित्सीय महत्त्व के हैं।

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जिन्हें उप-नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट तात्पर्य से होगा।

3. परिसरों के अधिवासियों के कर्त्तव्य : —(1) कोई भी व्यक्ति :—

(i) अपने अधिवासित परिसर के भीतर, खड़े अथवा बहाव वाले पानी, जिससे मच्छर/अन्य रोगाणुओं का प्रजनन अथवा प्रजनन की संभावना हो, को न तो एकत्र करेगा एवं न ही रखरखाव करेगा।

(ii) परिसर में पानी इकट्ठा नहीं होने देगा, जिससे

मच्छर/अन्य रोगाणु पैदा हो या होने की संभावना हो। यदि कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उस पर ऐसी प्रभावी कार्यवाही की जाये कि मच्छर पैदा न हो।

(2) कहीं भी ठहरे अथवा बहते पानी में मच्छरों/अन्य रोगवाहक लारवा की स्वाभाविक उपस्थिति इस बात का प्रमाण होगी कि इस पानी में मच्छरों/अन्य रोगाणुवाहकों का प्रजनन हो रहा है।

4. मच्छरों/अन्य रोगाणुवाहक प्रजनन स्थलों का उपचार :—अध्यक्ष, लिखित में नोटिस द्वारा संपत्ति के मालिक अथवा परिसर के अधिभोक्ता से ठहरे हुए अथवा बहते पानी जिसमें मच्छर/अन्य रोगाणुवाहकों का प्रजनन होता है अथवा प्रजनन होने की संभावना है, निर्दिष्ट अवधि, जो 24 घंटे से कम न हो, में इसका भौतिक, रसायनिक अथवा जैविक पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति द्वारा, जो अध्यक्ष को इन परिस्थितियों में उपयुक्त लगे, उपचार करवा सकते हैं।

5. दोषियों के मामले में अध्यक्ष की शक्तियाँ :—यदि उप-नियम 4 के अंतर्गत स्वामी/अधिभोक्ता को नोटिस दिया जाता है एवं स्वामी/अधिभोक्ता उसका अनुपालन करने में असफल रहता/मना करता है या नोटिस में वर्णित निर्धारित अवधि में उपचारात्मक उपाय नहीं करता है तो अध्यक्ष द्वारा स्वामी/अधिभोक्ता की लागत पर आवश्यक कार्यवाही/उपचार करेगा और ऐसी कार्यवाही या उपचार करने पर उसके द्वारा किये गये व्यय को अधिनियम की धारा 363 के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में वसूल कर सकता है।

6. मच्छर-रोधी/अन्य रोगाणुरोधी कार्यों से बचाव :—जहाँ किसी परिसर में मच्छर/अन्य रोगाणुओं के प्रजनन की रोकथाम के लिए, अध्यक्ष या अध्यक्ष के आग्रह पर स्वामी या अधिभोक्ता द्वारा ऐसे परिसरों में कोई कार्य करवाया जाता है तो परिसरों के स्वामी या अधिभोक्ता कुछ समय तक के लिए उनको किसी भी तरह उस रूप में प्रयोग नहीं करेगा, जिसके कारण उठाये जाने वाले कदमों अथवा किये जाने वाले कार्यों को क्षति पहुँचती हो, या कार्य की दक्षता कम होती हो या ऐसा होने की संभावना हो।

7. ऐसे कार्यों में बाधा या हस्तक्षेप का निषेध :—(1) मच्छर व दूसरी बीमारी के रोगाणुओं के प्रजनन को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष की सहमति के बिना या अध्यक्ष के आदेशों के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं करेगा या किसी परिसर में रखे सामान या वस्तुओं को नष्ट नहीं करेगा या किसी परिसर में रखे सामान या वस्तुओं को नष्ट करेगा या अनुपयोगी नहीं बनायेगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा परिच्छेद (1) के प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो अध्यक्ष सामग्री या सामान के प्रतिस्थापन का कार्य पुनः निष्पादित करा सकता है और इस कार्य पर आई लागत को अधिनियम की धारा 363 के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में वसूल कर सकता है।

8. घरेलू व अन्य पात्रों के संबंध में प्रावधान :—किसी भी परिसर का स्वामी या अधिभोक्ता किसी भी प्रकार के बर्तनों, बोतलों, केनों, पात्रों को इस प्रकार इकट्ठा न करे, जिसमें पानी जमा होकर मच्छरों/अन्य रोगाणुवाहकों के प्रजनन का कारण बने।

9. सड़कों, बन्धों इत्यादि के निर्माण तथा मरम्मत हेतु अपनाये जाने वाले उपाय :—(i) भवनों, सड़कों, बन्धों आदि की मरम्मत और निर्माण के दौरान खुदाई से बने गड्ढे गहरे होने चाहिए तथा ढलाव स्तर की ओर सीधे निकासी के लिए एक-दूसरे से जुड़े हों तथा नदी, नहर, चैनल अथवा नाले की ओर उचित प्रवाह हेतु पूर्णतः ढलानयुक्त होने चाहिएं तथा कोई भी व्यक्ति अलग से गहरा गड्ढा नहीं खोदेगा जिसमें पानी जमा होने की संभावना हो तथा जिससे मच्छरों का प्रजनन हो।

(ii) संबंधित ठेकेदार द्वारा लारवा-रोधी उपाय हेतु साप्ताहिक रूप से कीट रोधी छिड़काव कराया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु परिषद् से किये गये अनुबंध के अनुसार परिषद् की लारवा-रोधी इकाई को लारवा-रोधी उपाय करने हेतु सम्पर्क किया जाए, जिसके लिए परिषद् द्वारा परिषद् के साथ निष्पादित अनुबंध के अनुसार प्रभार वसूल किये जाएँगे।

10. परिसरों में प्रवेश तथा निरीक्षण हेतु अध्यक्ष की शक्तियाँ :—(1) प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य हेतु, अध्यक्ष अथवा उसकी ओर से इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई परिषद् अधिकारी अथवा अन्य कोई कर्मचारी अधिनियम की धारा 343 के प्रावधान के अनुसार जैसा वह उपयुक्त समझे, लिखित या मौखिक नोटिस देने के उपरांत अपने क्षेत्राधिकार के परिसर में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही प्रवेश कर सकेगा और परिसर का अधिभोक्ता या स्वामी ऐसे निरीक्षण एवं प्रवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधायें प्रदान करेगा तथा इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित सभी सूचनायें भी देगा।

(2) अध्यक्ष या इसके द्वारा या इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति के लिए किसी स्थान में प्रवेश करना, और किसी द्वार, फाटक या अन्य अवरोधकों को खोलना या खुलवाना कानूनी रूप से जायज होगा बशर्ते कि ऐसा अधिनियम की धारा 342 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुरूप हो—

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश के प्रयोजन के लिए उसका खोला जाना आवश्यक समझता है, और

(ख) यदि स्वामी या अधिभोक्ता अनुपस्थित है या उपस्थित होने पर भी ऐसे द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने से इंकार करता है।

11. दण्ड :—जो कोई भी उप-नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह अधिनियम की धारा 390 के अनुसार दण्डनीय होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा इनके नाम पर

राम कंवर, उप-सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 2007

F. No. 4/4/2006/NDMC/14663.—The following Bye-laws made by the New Delhi Municipal Council under

sub-section (1) of Section 388 read with clause (i) of Section 11 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), after previous publication and with the prior approval of the Government of National Capital Territory of Delhi in pursuance of provisions under Section 391 of the said Act, are hereby published as under :—

1. Short-title, extent and commencement :—(1) These Bye-laws may be called the New Delhi Municipal Council (Dengue, Malaria, Filariasis, Yellow Fever and Other Vector Borne Diseases) Bye-laws, 2007.

(2) They extend to the entire area under the jurisdiction of the New Delhi Municipal Council.

(3) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);

(b) "Chairperson" means the Chairperson, New Delhi Municipal Council and includes any other municipal officer or other municipal employee authorized by the Chairperson of the Council in this behalf; and;

(c) "other vector" means vector of medical importance only.

(2) Words and expressions used but not defined in these bye-laws but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Duty of persons in occupation of premises :—

(1) No person shall—

(i) have keep or maintain upon or within the premises in his occupation any collection of standing or flowing water in which mosquitoes and other vectors breed, or are likely to breed; or

(ii) cause, permit or suffer any water, within or upon such premises to form a collection in which mosquitoes and other vectors breed or are likely to breed, unless such collection of water has been so treated effectively, to prevent such breeding.

(2) The natural presence of mosquito or any other vector larvae, in any standing or flowing water, shall be an evidence that mosquitoes or any other vector are breeding in such water.

4. Treatment of mosquito and other vector breeding places.—The Chairperson may, by notice in writing, require the owner or the occupier of any premises, containing any collection of standing or flowing water in which mosquitoes and other vectors breed or are likely to breed, within such time as may be specified in the notice, not being less than twenty four hours, to take such measures with respect to the same, or to treat the same by such physical, chemical or biological method, being measures or a method, as the Chairperson may consider suitable in the circumstances.

5. Powers of Chairperson in case of default.—If a notice under Bye-law 4 is served on the owner/occupier, and if the owner/occupier fails to comply with the same or to take measures, or adopt such treatment, as specified in the notice within the stipulated period, the Chairperson shall do the needful at the cost of owner/occupier and shall be entitled to recover from the owner/occupier the expenses incurred by him in taking such measures or adopting such method or treatment, and may, recover such expenses as an arrear of tax under Section 363 of the Act.

6. Protection of anti-mosquito and other anti-vector works.—Where, with the object of preventing breeding of mosquitoes and other vectors in any premises, the Chairperson, or the owner or occupier at the instance of the Chairperson, has carried out any work on such premises, the owner or the occupier for the time being of such premises shall prevent its being used in any manner which causes or is likely to cause, the deterioration of such works, or which impairs or is likely to impair, their efficiency.

7. Prohibition of interference with such works.—(1) No person shall without the consent of the Chairperson interfere with, injure, destroy or render useless any work, material or thing placed in any premises by or under orders of the Chairperson with the object of preventing the breeding of mosquitoes and other vector.

(2) If the provisions of sub-clause (1) are contravened by any person, the Chairperson may re-execute the work of replacing the material or thing and recover the cost of doing so from such person as an arrear of tax under Section 363 of the Act.

8. Provisions in respect of house-hold and other containers.—The owner or occupier of any premises shall not keep therein any bottle, vessel, can, container or receptacle in such a manner so as to allow it to collect and or retain water which may breed mosquitoes and other vectors.

9. Measures to be taken in construction and repair of roads, embankments, etc. :—(1) All the burrow-pit dug in the course of construction and repairs of buildings, roads, embankments, etc., shall be deep and connected with each other in the formation of a drain directed towards the lowest level and properly sloped for discharge into a river, stream, channel or drain and no person shall create any isolated burrow-pit which is likely to cause accumulation of water which may breed mosquitoes.

(2) Weekly insecticides spray for anti-larvae measures will be undertaken by the concerned contractor. For this purpose, anti-larvae unit of the Council may be approached for carrying out anti-larvae measures for which charges will be levied by the Council as per agreement entered into with the Council.

10. Power of Chairperson to enter and inspect the premises.—(1) For the purpose of enforcing the provisions, the Chairperson or any municipal officer or other municipal employee, authorized in this behalf by him or empowered in this behalf, may between the hours of sun rise and sun set as provided under Section 343 of the Act, and after giving such notice in writing or verbally as may appear to him reasonable, enter and inspect any premises within his jurisdiction and the occupier or the owner, as the case may be, of such premises shall give all facilities necessary for such entry and inspection and supply all such information as may be required by him for the purpose aforesaid.

(2) It shall be lawful for the Chairperson or any person authorized by him or empowered in this behalf, to enter into any place and to open or cause to open any door, gate, or other barrier, subject to the provisions of sub-section (2) of Section 342 of the Act, if—

(a) he considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry; and

(b) the owner or occupier is absent or being present refuses to open such door, gate or barrier.

11. Penalty.—Whosoever contravenes any provision of these bye-law shall be punishable in accordance with Section 390 of the Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAM KANWAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त, 2007

सं. फा. 16(1)/श.वि./जल/2002-03/14585/1391–93.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 4, 1998) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, श्रीमति पी. गोपीनाथ, भा.प्र.से. 77 को दिल्ली जल बोर्ड जिसका गठन, दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्या फा. 16(1)/श.वि./दि.ज.बो/98-99/4199 दिनांक 6 अप्रैल, 1998 के तहत किया गया था की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुच्छेद (9) के अन्तर्गत दिनांक 11-7-2007 से दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य (वित्त) नामांकित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, अतिरिक्त सचिव

NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 2007

No. F. 16(1)/UD/DWB/2002-03/14585/1391–93.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1998), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Smt. P. Gopi Nath, IPoS : 77, as Member (Finance), Delhi Jal Board, constituted *vide* this Government's Notification No. 16(1)/UD/DWB/98-99/4199 dated the 6th April, 1998 under clause (ix) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act, from the forenoon of 11-7-2007.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Addl. Secy.

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त, 2007

सं. 7/13/रा.स्थ./स.र./जीए/97/4090/(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27/1/बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अशोक कुमार वर्मा (तहसीलदार नरेला) को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं. 7/13/रा.स्थ./स.र./जीए/97/4090/(ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 15/1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अशोक कुमार वर्मा (तहसीलदार नरेला) को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं. 7/13/रा.स्थ./स.र./जीए/97/4090/(iii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डिंग अधिनियम, संख्या 50 की धारा 14 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अशोक कुमार वर्मा (तहसीलदार नरेला) को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त प्रदान करते हैं।

सं. 7/13/रा.स्थ./स.र./जीए/97/4090/(iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अशोक कुमार वर्मा (तहसीलदार नरेला) को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश, तथा उनके नाम पर,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 2007

F. No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./GA/97/4090 (i). —In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ashok Kumar Verma (Tehsildar Narela), the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, so long as he holds the post or till further orders which ever is earlier.

F. No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./GA/97/4090 (ii). —In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Act No. 21 of 1901) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ashok Kumar Verma (Tehsildar Narela), the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, so long as he holds the post or till further orders which ever is earlier.

F. No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./GA/97/4090 (iii). —In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holding (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ashok Kumar Verma (Tehsildar Narela), the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, so long as he holds the post or till further orders which ever is earlier.

F. No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./GA/97/4090(iv).—In exercise of the powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi Sh. Ashok Kumar Verma (Tehsildar Narela), for the purpose of the aforesaid Act, till such time as he holds the said post or till further orders which ever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy.

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त, 2007

पत्रांक फा. 3(1)एफ.ए.एस./यू.ए.पी.डब्ल्यू.डी./डी.एस.डब्ल्यू./ 2006-07/10187-197.—दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना एफ. 3(1) एफ.ए.एस./यू.ए.पी.डब्ल्यू.डी./डी.एस.डब्ल्यू./2006-07 दिनांक 13-11-2006 द्वारा प्रकाशित नि:शक्त बेरोजगार व्यक्तियों के लिए भत्ता नियम, 2006 में दिल्ली के उपराज्यपाल सहर्ष, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

नियम 3 में संशोधन

कथित नियमावली के नियम 3 में शब्दों और अंकों में रुपए 350 को शब्दों और अंकों में रुपए 600 में बदला गया है ।

उपरोक्त संशोधन अप्रैल माह 2007 से प्रभावी होंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर

ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 2007

No. F 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/10187-197.—The Lt. Governor of Delhi is pleased to make the following amendment in Rules in respect of 'Unemployment Allowance to Persons with Disabled Scheme', as published in the Delhi Gazette *vide* Notification No. F 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/28851 dated November 13, 2006 —

Amendment to Rule 3

In Rule 3 of the said Rules for the words and figures "Rs. 350" the words and figures "Rs. 600" shall be substituted.

The above amendment shall be effective from April, 2007.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

GYANENDRA SRIVASTAVA, Secy.

3507DG/07—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.